

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
 में पत्रावली तनकीहत में चल रही है जबकि पूर्व
 पत्रावली वास्ते तनकीहत आयदा दिनांक 18.12.2019
 को पेश है।

2

18/12/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील फरीने
 उपस्थित। हेतु समय-समय पर
 दिया जाकर पत्रावली वास्ते
 आयदा दिनांक 22.01.2020 को पेश है।

3

22.1.2020 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
 तनकीहत कायम को लेकर Explain की गई।
 पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी आयदा दिनांक
 24.1.2020 को पेश है।


3

24.1.2020 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष
 उपस्थित। प्रतिवादी की तरफ से माननीय
 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, श्री इंजरगढ का
 निर्णय दिनांक 18.1.2020 की प्रति पेश की।
 निर्णय का अवलोकन किया गया। माननीय
 न्यायालय अपने निर्णय में गौद पत्र रजिस्टर्ड
 दिनांक 23.5.2016 शून्य एवं प्रभावहीन घोषित
 कर दिया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा
को शून्य एवं प्रभात हीन घोषित हो जाने के
कारण वादिनी गोदनामे के अधिकार पाने से
वंचित हो जाने के कारण वादिनी को गोदनामे
के आधार पर वाद लाने का अधिकार स्वतः
ही समाप्त हो गये है। अतः वादी द्वारा
प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है।

पञ्जावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर
में से कम होकर दायित्व दफ्तर हीं।

निर्णय सुनाया गया।


(राकेश कुमार थोले)

अधिकारी
नगराठ (बोकानर)

